



EWS APPLICATION FORM

HINDI

MAPSKO BUILDERS PVT. LTD.

52, Noth Avenue Road, Punjabi Bagh West, New Delhi - 110026

Phone +91-11-42467410 /20 /30 /40 Fax +91-11-42467409

125, Vipul Agora, M.G. Road, Gurgaon - 122002

Phone +91-124-4250610 /20 /30 /40 Fax +91-124-4250650

Website: www.mapskogroup.com

MAPSKO BUILDERS PVT. LTD.

A CRISIL Rated Company / An ISO 9001-2000 Certified Company

Corporate Office: 52, North Avenue Road, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110 026 Ph.: +91-11-42467410-20-30-40 Fax: +91-11-42467409

Gurgaon Office: 125, 1st Floor, Vipul Agora, MG Road, Gurgaon-122002 Ph.: +91-124-4250610-20-30-40 Fax: +91-124-4250650

E-mail : sales@mapskogroup.com Web : www.mapskogroup.com

आवेदन पत्र

रसीद पंजीकरण न.

1. एकमात्र/पहले आवेदक.....S/W/D/o

(बड़े अक्षरों में)

(बड़े अक्षरों में)

पाने वाले का पता

डोमिसाईल दूरभाष न. (मोबाईल न./लैंडलाइन न.) राष्ट्रीयता बी.पी.एल कार्ड न.

..... गांव..... शहर जिला

..... हरियाणा

कर्मचारी का नाम और पता (यदि नौकरीशुदा है तो)

2. द्वितीय आवेदक का नामS/W/D/o

(बड़े अक्षरों में)

(बड़े अक्षरों में)

पाने वाले का पता

डोमिसाईल दूरभाष न. (मोबाईल न./लैंडलाइन न.) राष्ट्रीयता बी.पी.एल कार्ड न.

..... गांव..... शहर जिला

..... हरियाणा

केवल कार्यालय उपयोग के लिए :-

1. आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत..... 2. प्लॉट न.

3. आवेदन प्राप्त करने वाले का नाम 4. पंजीकृत राशि प्राप्त

रजिस्ट्रेशन न. के अंतर्गत दिनांक ₹

5. संयुक्त धारक की संख्या 6. समझौता संख्या दिनांक

7. प्रमाणपत्र/हलफनामा प्राप्त वैध

— आय

— बी.पी.एल

— डोमिसाईल

— अन्य संपत्ति

8. अन्य

हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत

ई.डब्ल्यू.एस प्लॉट की योजना में कॉलोनी, सैक्टर हरियाणा

1. रजिस्ट्रेशन रसीद न. फार्म न.

2. प्राप्त की दूरभाष न.

3. ₹100 (एक सौ रुपये) के डी.डी. के साथ (डी.डी. न.) दिनांकित

M/s Mapsko Builders Pvt. Ltd. के पक्ष में द्वारा जारी New Delhi में देय है।

4. ₹15,000 (पंद्रह हजार) के डी.डी. के साथ (डी.डी. न.) दिनांकित

M/s Mapsko Builders Pvt. Ltd. के पक्ष में द्वारा जारी New Delhi में देय है।

5. ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी के लिए हरियाणा के ग्रुप हाउसिंग में प्लॉट के सभी नियम एवं शर्तों के अनुपालन की स्वीकृति के आधार पर

..... (हरियाणा)

कृपया इस रसीद को संभाल कर रखें। असफल आवेदकों पंजीकृत राशि की वापसी केवल इस रसीद की वापसी पे ही दी जाएगी।

पीटीओ

ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी
पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

आवसीय प्लैट में

MAPSKO BUILDERS PVT. LTD.

A CRISIL Rated Company / An ISO 9001-2000 Certified Company

Corporate Office: 52, North Avenue Road, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110 026 Ph.: +91-11-42467410-20-30-40 Fax: +91-11-42467409

Gurgaon Office: 125, 1st Floor, Vipul Agora, MG Road, Gurgaon-122002 Ph.: +91-124-4250610-20-30-40 Fax: +91-124-4250650

E-mail : sales@mapskogroup.com Web : www.mapskogroup.com

प्रिय महोदय

- मैं/हम अनुरोध करता हूँ कि मैं/हमने ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी में आवंटन किये जाने वाले प्लैट के लिए पंजीकृत किया है, जिसका नापSq. mt/Sq.ft. (लगभग) ₹ के प्रति दर से प्रति Sq. mt./Sq.ft. जो कि आपके ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी हरियाणा में स्थित है।
- मैं/हम घोषित करते हैं कि मैं/हम भारत के नागरिक हैं और आवेदन के समय मैंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
- मैं/हम हरियाणा राज्य का अधिवासी हूँ और मुझे बीपीएल परिवार के तहत सूचीबद्ध किया गया है जो कि जिला हरियाणा में है मुझे पिछले 6 साल में आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा कोई भी प्लैट आवंटित नहीं किया गया है और न ही मैंने/हमने किसी भी प्लैट को किसी और के नाम आवंटित किया है।
- मैं घोषित करता हूँ कि मैं/मेरी पत्नी या मेरे आश्रित बच्चे ने किसी भी ऐसे आवेदन में निवेदित नहीं किया है।
- मैं सहमति देता हूँ कि मैं कम्पनी द्वारा प्लैट जो कि ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी हरियाणा में है, के आवंटन बिक्री के वांछित नियम व शर्तें मानक प्रारूप में पढ़ और समझ ली है और उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
- मैं/हम ₹100 (एक सौ रुपये) की राशि का रस्त मांग की और बैंक ड्राफ्ट संख्या बैंक, Mapsko Builders Pvt. Ltd. की और New Delhi में देय है, जो कि प्रसंस्करण शुल्क की अप्रतिदेय राशि होगी।
- मैं/हम ₹15,000 (पंद्रह हजार) की राशि का रस्त मांग की और बैंक ड्राफ्ट संख्या बैंक, Mapsko Builders Pvt. Ltd. की और New Delhi में देय है, पंजीकरण पैसे की और/बयाना राशि @10% कुल प्लैट लागत का (i.e ₹1,50,000)
- मैं प्लैट के आवंटन के समय उक्त पंजीकरण बयाना पैसों का विनियोग करने के लिए सहमत हूँ। और कम्पनी द्वारा, बिक्री मूल्य के आगे की किश्तों का भुगतान करने निर्धारित समय के लिए अपनी सहमति देता हूँ।

उपायुक्त या उनके प्रतिविर्धा टाऊन के वरिष्ठ योजनाकार, महानिदेशक, शहर और देश योजनाकार (DG, TCP) और कम्पनी से मिलकर बनाई गई है जिला समिति के ड्रा में अगर मुझे आवंटन नहीं मिलता है तो मेरी पंजीकृत राशि बिना ब्याज के साथ वापिस की जाएगी।

मेरे/हमारे विवरण पृष्ठ न.1 पर दिए गए हैं।

आपका भवदीय

एकमात्र/पहला आवेदक

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

द्वितीय आवेदक

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

जो उचित नहीं है उसे काट दें

नियम व शर्तें लागू

आवंटन और बिक्री के लिए Sq.mt. (लगभग) ई.डब्ल्यू.एस फ्लैट में

.....सैक्टर हरियाणा

1. आवेदक/इच्छुक आवंटक ई.डब्ल्यू.एस फ्लैट के लिए राशि अदा करें :
 - (a) ₹15000/- (10% फ्लैट राशि) पंजीकरण राशि बयाना राशि आवेदन पत्र के साथ।
 - (b) ₹37500/- (25% फ्लैट राशि) आवंटन के समय।
 - (c) ₹37500/- (25% फ्लैट राशि) आवंटन के दो महीने के अंतर्गत।
 - (d) ₹37500/- (25% फ्लैट राशि) आवंटन के 3 महीने के अंतर्गत।
 - (e) बकाया राशि कब्जे के समय पर।
 - (f) पंजीकरण राशि और अन्य विविध प्रकार की राशि जो कि अन्तिम बकाया किश्त के समय पर मान्य हो अंतर्गत 1(e)

कुल फ्लैट राशि ₹1,50,000/-

(सारे चैक/ड्राफ्ट M/sMapskoBuldersPvt.Ltd. के नाम पर होंगे।)

2. अगर और जब आवश्यक पाया जाए कम्पनी लेआउट योजना में उपयुक्त और आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। परिवर्तन निम्न में किसी या सभी चीजों पर जैसे कि फ्लैट के सीन, परिवर्तन फ्लैट की संख्या में परिवर्तन, फ्लैट की माप या स्थिति में परिवर्तन, किसी एक या सभी परिवर्तन को लागू करना अनुपूरक बिक्रीनामा, यदि आवश्यकता हो तो निष्पादित और पंजीकृत किया जाएगा। यदि क्षेत्र में कमी है तो क्षेत्र की कमी होने से छूट सिर्फ फ्लैट की बिक्री के दर के मूल दर पर ही मान्य होगा। यदि विशेष फ्लैट लोपित हो या कम्पनी उस फ्लैट को आवेदक इच्छुक आवंटक किसी भी अन्य कारण से नहीं सौंप पाए जो कि नीचे (4. न.) में दिया गया है। कम्पनी की पूरी वास्तविक राशि वापिस करने की जिम्मेदारी होगी और कम्पनी कोई भी मुआवजा या बयाना कुछ भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
 3. वर्तमान में, किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्रधिकारी द्वारा ई.डब्ल्यू. एस फ्लैट के क्षेत्र में अधिग्रह की विषय में कोई अधिसूचना नहीं है। इसके बाद किसी भी विकास के लिए अगर जगह लेने के लिए मामला होता है तो वो आवेदक/इच्छुक आवंटक और लागत और जोखिम पर होगा। जो कि बकाया किश्तों के भुगतान के लिए बाध्य होगा और इसके बाद ही फ्लैट के संबंध में सरकार/प्रधिकरण द्वारा भुगतान/मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा। किसी भी ऐसे विकास के लिए कम्पनी किसी भी मुआवजे के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगी।
 4. ऊपर दिए गई किस्त का समय ही अनुबंध का सार है। आवेदक/इच्छुक आवंटक पर भुगतान की शर्तों का पालन करने पर अवलंबी होगा और अन्य बिक्री की नियम एवं शर्तें, कम्पनी के नियमों के अनुसार होंगी।
 5. आवेदक/इच्छुक आवंटक अपने नामांकित व्यक्ति का नाम अपने नाम की जगह नहीं दे सकता।
 6. आवेदक/इच्छुक आवंटक ने अपने पूरे होश में और बिना किसी दबाव में और सारे नियमों और सूचनाओं को जानते हुए यह समझौता किया है।
 7. आवेदक ने पूरी तरह से कम्पनी की भूखंड के प्रति अधिकार एवं दायित्वों को समझ लिया है और बाद में इसके प्रति कोई भी जांच या आपत्ति आवेदक द्वारा नहीं की जाएगी।
 8. पूर्ण बकाया राशि, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकृत राशि प्राप्त होने के बाद अंत में स्थल सीमांकन किया जाएगा और बिक्रीनामा निष्पादित होगा और आवेदक/इच्छुक आवेदक के अनुग्रह के उचित समय में पंजीकृत किया जाएगा।
 9. फ्लैट के आवेदक/इच्छुक आवंटक के लिए कम्पनी द्वारा निर्धारित राशि विभिन्न सेवाओं के लिए अदा करनी होगी महानिदेशक, शहर और देश योजनाकार (DG, TCP) आवेदक, इच्छुक आवेदक भुगतान के लिए सुनिश्चित राशि जो कि कम्पनी को ब्याज मुक्त सुरक्षा के माध्यम से अपनी प्रचलित नीति के अनुसार कंपनी द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि के साथ जमा करनी होगी, यह राशि देय होगी और 1(e) किस्त के साथ भुगतान करना होगा।
 10. सभी कर जो कि वसूल किये हुए हैं, और वसूल किये जाने हैं अभी या भविष्य में भूमि पर और या फ्लैट पर यथा स्थिति, आवेदक/इच्छुक आवंटक से बुकिंग की तिथि से मान्य होगी।
 11. आवेदक/इच्छुक आवेदक को आवेदन के समय अपना पूरा पता कम्पनी में पंजीकृत करवाना होगा और यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह कोई भी बदलाव पंजीकृत A/D द्वारा सूचित करें। समर्थित वैध दस्तावेज न देने के साथ सभी नाम नोटिस और पहले आवेदक पंजीकृत पते पर प्राप्त किया गया समझा जाएगा। उसका/उसके द्वारा सभी मांग नोटिस पहले आवेदक पंजीकृत पते पर टैनाट पत्र समय पर प्राप्त किया गया समझा जाएगा। अन्य परिणामों में किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार होगा।
 12. नई दिल्ली/दिल्ली में सभी अदालतों को इस लेन-देन के विषय से उत्पन्न सभी मामलों में अधिकारिता होगी।
 13. फ्लैट का आवेदन कंपनी का निर्णय है और कंपनी को यह आवेदन/प्रस्ताव बिना कोई कारण बताए पूरी तरह से अस्वीकार करने का अधिकार है।
- ई.डब्ल्यू.एस फ्लैट के आवंटन के लिए ऊपर के नियम और शर्तों ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी, हरियाणा मुझे/हमें स्वीकार्य है।

इच्छुक आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता

.....